ग्राम पंचायत कुरियाला, विकास खण्ड ऊना, जिला ऊना हिमाचल प्रदेश के लेखाओं का अंकेक्षण एवं निरीक्षण प्रतिवेदन

अवधि 1.4.2013 से 31.3.2016

भाग–एक

1. (क) प्रस्तावना :–

ग्याहरवें वित्त आयोग की सिफारिशों के फलस्वरूप हिमाचल प्रदेश पंचायती राज अधिनियम 1994 की धारा 118 में संशोधन होने व संयुक्त निदेशक एवं उप सचिव पंचायती राज विभाग के पत्र संख्या : PCH-HC-(5)C(15)LAD/2006-12669, दिनांक 7.4.2016 द्वारा पंचायती राज संस्थाओं के अंकेक्षण का दायित्व निदेशक, स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग हि0प्र0 को सौंपे जाने के दृष्टिगत ग्राम पंचायत कुरियाला विकास खण्ड ऊना, जिला ऊना के अवधि 1.4.2013 से 31.3.2016 के लेखाओं का अंकेक्षण स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग द्वारा किया गया।

अंकेक्षण अवधि के दौरान ग्राम पंचायत में निम्नलिखित प्रधान/सचिव कार्यरत थे।

प्रधान :–

क्र0 सं0	नाम	अवधि
1.	श्रीमति चरनी देवी	1.4.2013 से 22.1.2016
2.	श्री परमजीत सिंह	23.1.2016 से अघतन

सचिव :–

क्र0 सं0	नाम	अवधि
1.	श्रीमति नीशा गुप्ता	1.4.2013 से अघतन

(ख) गम्भीर अनियमितताओं का सार :–

ग्राम पंचायत कुरियाला के लेखाओं अवधि 1.4.2013 से 31.3.2016 के अंकेक्षण एवं निरीक्षण के दौरान पाई गई गम्भीर अनियमितताओं का सार निम्न प्रकार से है।

क्र0 सं0	पैरा सं0	अनियमितताओं का संक्षिप्त सार	राशि (लाखों में)
1.	7	खाता–ख अनुदानों से अर्जित ब्याज को खाता–क में अन्तरित न करना	0.42
2.	8	अनुदानों को उपयोग न करना	4.91
3.	9	औपचारिकताओं को पूर्ण किए बिना स्टॉक/स्टोर का क्रय करना	3.28
4.	10	पंचायत द्वारा क्रय किए गए सामान को स्टॉक रजिस्टरों में दर्ज न	0.25

		करना	
5.	11	निम्न गुणवत्ता के कार्य का निष्पादन करना	0.75

भाग–दो

2. वर्तमान अंकेक्षण :–

ग्राम पंचायत कुरियाला, विकास खण्ड ऊना, जिला ऊना के अवधि 1.4.2013 से 31.3.2016 के लेखाओं का प्रथम एवं वर्तमान अंकेक्षण श्री राज कुमार, अनुभाग अधिकारी व श्री सुशील कुमार आर्टिकल सहायक द्वारा दिनांक 20.8.2016 से 24.8.2016 तक ग्राम पंचायत कार्यालय में किया गया। लेखाओं की विस्तृत जांच हेतु आय व व्यय के लिए क्रमशः माह 3/14, 11/14, 5/15 व 3/14, 2/15, 12/15 का चयन किया गया, जिसके परिणाम को आगामी पैराग्राफों में समाविष्ट किया गया है।

इस अंकेक्षण एवं निरीक्षण प्रतिवेदन का प्रारूपण पंचायत के नियन्त्रण अधिकारी द्वारा उपलब्ध करवाई गई सूचनाओं एवं अभिलेख के आधार पर किया गया है। उक्त पंचायत द्वारा अंकेक्षण को उपलब्ध करवाई गई किसी भी सूचना/अभिलेख के अपूर्ण/गलत व उपलब्ध न होने की स्थिति में अंकेक्षण प्रतिवेदन पर होने वाले किसी भी प्रभाव हेतु स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग, हिमाचल प्रदेश उत्तरदायी नहीं होगा।

3. अंकेक्षण शुल्क :–

ग्राम पंचायत कुरियाला, विकास खण्ड ऊना, जिला ऊना के अवधि 1.4.2013 से 31.3.2016 के लेखाओं का अंकेक्षण शुल्क ₹7200 बनता है। उक्त अंकेक्षण शुल्क की राशि को रेखांकित बैंक ड्राफ्ट के माध्यम से निदेशक, स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग, हि0प्र0 शिमला–171009 को प्रेषित करने हेतु अधियाचना संख्या : 252, दिनांक 22.8.2016 द्वारा सचिव ग्राम पंचायत कुरियाला से अनुरोध किया गया। तदानुसार सचिव, ग्राम पंचायत कुरियाला द्वारा के0सी0सी0बी0 ऊना के बैंक ड्राफ्ट संख्याः 312443, दिनांक 22.8.2016 द्वारा उक्त अंकेक्षण शुल्क की राशि को निदेशक, स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग, हि0प्र0 शिमला–171009 को प्रेषित किया गया है।

4. वित्तीय स्थिति :–

ग्राम पंचायत कुरियाला द्वारा प्रस्तुत अभिलेख के अनुसार ग्राम पंचायत के अवधि 1.4.2013 से 31.3.2015 के लेखाओं की वित्तीय स्थिति निम्न प्रकार से थी।

(1) स्वः स्त्रोत :–

ग्राम पंचायत कुरियाला के अवधि 1.4.2013 से 31.3.2016 स्वयं स्त्रोतों की वित्तीय स्थिति विवरण :–

वर्ष	अथशेष	प्राप्ति	योग	व्यय	अन्तिम शेष
2013–14	118205.71	51337	169542.71	22213	147329.71
2014–15	147329.71	74993	222322.71	136249	86073.71
2015–16	86073.71	49588	135661.71	84613	51048.71

(2) अनुदान :–

ग्राम पंचायत कुरियाला के अवधि 1.4.2013 से 31.3.2016 के अनुदानों की वित्तीय स्थिति का संकलित विवरण निम्न प्रकार से है, जिसका विस्तृत विवरण संलग्न **परिशिष्ट–'1'** में भी दिया गया है।

वर्ष	अथशेष	प्राप्ति	योग	व्यय	अन्तिम शेष
2013–14	381636	1479086	1860722	1513591	347131
2014–15	347131	685962	1033093	757496	275597
2015–16	275597	1639922	1915519	1424379	491140

4.1 बैंक समाधान विवरणीः–

जांच के दौरान पाया गया कि ग्राम पंचायत कुरियाला द्वारा मासिक आधार पर बैंक समाधान विवरण तैयार नहीं किया गया, जिसके फलस्वरूप दिनांक 31.3.2016 को निम्नाविवरणानुसार रोकड़ वही तथा बैंक खाते में ₹37003 का अन्तर था। अतः पंचायत रोकड़ वहियों का बैंक खाते से मिलान करके अनुपालना से इस विभाग को अवगत करवाया जाए।

दिनांक 31.3.2016 को स्वः स्त्रोत का अन्तशेष = ₹51048.71

दिनांक 31.3.2016 को अनुदान का अन्तशेष = ₹491140.00

योग ₹542188.71

अन्तशेष का विवरणः–

दिनांक 31.3.2016 को अन्तशेष का विवरण निम्नानुसार है।

क्र0 सं0	खाता सं0	बैंक का नाम	निधि	राशि	हस्तगत राशि	योग
1.	50051790052	के0सी0सी0बी0 ऊना	आई0ए0वाई0	55103	–	55103
2.	50051790074	–	विकास कार्य	102565	–	102565

3.	50051790096	–	वित्तायोग	93228	42	93270
4.	20013012537	–	सामान्य	325072.13	335.63	325407.76
5.	–	डाकघर कुरियाला	–	2845.95	–	2845.95
			योग	**₹578814.08**	**₹377.63**	**₹579191.71**

अन्तर (₹542188.71–₹579191.71)=₹37003

4.2 डाकघर पास बुक अंकेक्षण में प्रस्तुत न करनाः–

वित्तीय स्थिति में दिनांक 31.3.2016 को दर्शाए गए अन्तिम शेषों की विवरणी में डाकघर कुरियाला में ₹2845.95 का अन्तशेष दर्शाया गया है, लेकिन उक्त पास बुक अंकेक्षण के दौरान सत्यापना हेतु प्रस्तुत नहीं की गई। उक्त खाते के आभाव में अन्तिम शेष के रूप में दर्शाए गए ₹2845.95 की सत्यापना वर्तमान अंकेक्षण के दौरान सम्भव न हो सकी। अतः वान्छित डाकघर पास बुक आगामी अंकेक्षण में सत्यापना हेतु प्रस्तुत किया जाना सुनिश्चित किया जाए, तकि अन्तिम शेष के रूप में दर्शाई गई राशि की सत्यापना सम्भव हो सके।

4.3 रोकड़ वही का बैंक खाते से मिलान न करनाः–

रोकड़ वही के अवलोकन में पाया गया कि पंचायत द्वारा अंकेक्षण अवधि के दौरान रोकड़ वही व बैंक खाते का मिलान नहीं किया गया था, जबकि हि0प्र0 पंचायती राज (वित्त बजट लेखे, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 7(3) व 10(1) के अनुसार पंचायतों की रोकड़ वही का बैंक खातों से मिलान करना अनिवार्य था। अतः पंचायत द्वारा रोकड़ वहियों का बैंक खाते से मिलान न करना नियमों के विरूद्ध होने के कारण अनियमित है। अतः इस अनियमितता के बारे में उचित स्पष्टीकरण प्रस्तुत करते हुए पंचायत की रोकड़ वहियों का बैंक खातों के साथ मिलान किया जाना सुनिश्चित किया जाए।

4.4 रोकड़ वही नियमानुसार तैयार न करनाः–

हि0प्र0 पंचायती राज (वित्त बजट लेखे, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 4(1) के अनुसार नियम 3 में दर्शाई बजट संहिता संख्याः 1 से 50 में वर्णित आय के स्त्रोत माने जाएंगे और ऐसी आय के लिए पृथक खाता खोला जाएगा। यह खाता पंचायत निधि खाता–क के रूप में जाना जाएगा। इसी तरह नियम–3 में संहिता संख्याः 51 से 99 में वर्णित प्राप्त आय सहायता अनुदान, विशेष प्रयोजनों के लिए आवंटित निधियां और अन्य संस्थाओं सें प्राप्त ऋण के लिए पृथक खाता खोला जाएगा और पंचायत निधि खाता–ख जाना जाएगा, परन्तु जांच में पाया गया कि अंकेक्षण अवधि में पचायत की अपनी आय के स्त्रोत की व अनुदानों के लिए एक ही रोकड़ वही ग्राम

पंचायत द्वारा तैयार की गई है, जोकि अनियमित है। अतः नियमानुसार रोकड़ वही का रख–रखाव न करने का औचित्य स्पष्ट किया जाए व भविष्य में पंचायत निधि खाता–क व ख के अनुरूप रोकड़ वही का रख–रखाव किया जाना सुनिश्चित किया जाए।

5. पंचायत राजस्व ₹0.02 लाख का वसूली हेतु शेष पाया जाना :–

सचिव ग्राम पंचायत कुरियाला द्वारा उपलब्ध करवाई गई सूचना के अनुसार दिनांक 31.3.2016 को पंचायत राजस्व गृहकर के रूप में निम्न विवरणानुसार ₹2375 की वसूली हेतु शेष थी।

वर्ष	अथशेष	मांग	योग	प्राप्ति	वसूली हेतु शेष राशि
2013–14	12755	11730	24485	22280	2205
2014–15	2205	11730	13935	1580	12355
2015–16	12355	13350	25705	23330	2375

अतः उपरोक्त उल्लेखित गृहकर के रूप में ₹2375 की बकाया राशि की वसूली न करने के कारण स्पष्ट किए जाएं व उक्त राशि की वसूली की जानी सुनिश्चित की जाए।

6. बजट प्राक्कलन तैयार न करना :–

हि0प्र0 पंचायती राज (वित्त बजट लेखे, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 37 के अनुसार सचिव द्वारा फार्म–II में पंचायत आय व व्यय के प्राक्कलन तैयार करके ग्राम सभा से पारित करवाना अपेक्षित था। अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि पंचायत द्वारा अंकेक्षण अवधि के लिए पंचायत का बजट प्राक्कलन तैयार नहीं किया गया था। इस प्रकार बजट प्राक्लन तैयार/अनुमोदित न करने के कारण पंचायत द्वारा किया गया व्यय अनियमित था। अतः बजट प्राक्कलनों को तैयार न करने के कारणों को स्पष्ट करते हुए भविष्य में नियमानुसार बजट प्राक्कलन तैयार किया जाना सुनिश्चित किया जाए।

7. खाता (ख) के ब्याज ₹0.42 लाख को खाता (क) में अन्तरित न करना :–

(i) हि0प्र0 पंचायती राज (वित्त बजट लेखे, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 4(1) के अनुसार प्रतिवर्ष मास जनवरी तथा जुलाई में पंचायत द्वारा खाता ख से अर्जित ब्याज को पंचायत निधि के स्वयं संसाधनों के खाता क में अन्तरित किया जाना अपेक्षित है, परन्तु ग्राम पंचायत कुरियाला के खातों की जांच करने पर पाया गया कि उक्त नियम की अनुपालना नहीं की जा रही है तथा निम्नानुसार अनुदानों पर प्राप्त ब्याज को एक स्वयं संसाधनों के खाता–क में ₹42415 को अन्तरित नहीं किया गया है, जिसका औचित्य स्पष्ट किया जाए व तुरन्त प्रभाव से खाता–ख के बैंक

खातों में अर्जित ब्याज को खाता–क में अन्तरित किया जाना सुनिश्चित किया जाए व भविष्य में नियमानुसार कार्यवाही की जानी सुनिश्चित की जाए।

क्र0 सं0	वर्ष	वित्तायोग	योजना	आई0ए0वाई0	मनरेगा	कुल योग
1.	2013–14	4579	6811	2272	3354	17061
2.	2014–15	4673	3731	4168	68	12610
3.	2015–16	4388	6573	1828	–	12789
	योग	**₹13610**	**₹17115**	**₹8268**	**₹3422**	**₹42415**

(ii) जांच के दौरान पाया गया कि वित्तीय वर्ष 2014–15 व 2015–16 के दौरान अनुदानों से अर्जित ब्याज ₹1212 को खण्ड विकास अधिकारी ऊना को हस्तांतरित किया गया है, जोकि हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (वित्त बजट लेखे, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 4(1) की स्पष्ट अवहेलना है। अतः उक्त नियमों के विपरीत ब्याज की राशि को खण्ड विकास अधिकारी को हस्तांतरित करने का औचित्य स्पष्ट किया जाए तथा भविष्य में उक्त प्रकार की अनियमितता न दोहराई जाए।

8. अनुदानों से ₹4.91 लाख का उपयोग न करनाः–

पंचायत द्वारा अनुदानों से सम्बन्धित उपलब्ध करवाई गई सूचना परिशिष्ट–1 के अनुसार दिनांक 31.3.2016 को अनुदान ₹491140 उपयोग हेतु शेष थी। ग्राम पंचायत द्वारा विभिन्न विकासात्मक कार्यों हेतु प्राप्त अनुदानों के स्वीकृति पत्र की शर्त अनुसार अनुदान राशि को विहित अवधि के दौरान व्यय किया जाना था, जबकि पंचायत द्वारा अनुदान की राशि को विहित अवधि के दौरान व्यय न करने के कारण धन का अवरोधन होने के साथ–साथ सरकारी योजनाओं से ग्रामीणों को होने वाले लाभ से भी वन्चित होना पड़ा। अतः अनुदान की राशि को विहित अवधि के दौरान व्यय न करने के कारणों को स्पष्ट करते हुए अनुदान के व्यय हेतु सक्षम अधिकारी से अवधि बढ़ौतरी की स्वीकृति प्राप्त करके उक्त राशि को व्यय करना सुनिश्चित किया जाए। अन्यथा राशि का प्रत्यर्पण सम्बन्धित संस्था को किया जाए।

9. औपचारिकताओं को पूर्ण किए बिना ही ₹3.28 लाख के स्टॉक/स्टोर का क्रय करनाः–

हि0 प्र0 पंचायती राज (वित्त बजट लेखे, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 67(4) व 67(5) द्वारा स्टॉक/स्टोर का क्रय करने की औपचारिकताएं प्रावधित हैं। व्यय वाउचरों के अंकेक्षण में पाया गया कि **परिशिष्ट–2(i से iv)** में दिए गए विवरणानुसार पंचायत द्वारा ₹327938 के स्टॉक/स्टोर का क्रय औपचारिकताओं को पूर्ण किए बिना ही किया गया, जोकि उक्त नियमों के

अनुसार न होने के कारण अनियमित व आपत्तिजनक है। अतः स्टॉक/स्टोर का क्रय नियमानुसार न करने के कारणों को स्पष्ट करते हुए इस अनियमितता को सक्षम प्राधिकारी की स्वीकृति से नियमित करवाया जाए तथा भविष्य में नियमानुसार ही स्टॉक/स्टोर का क्रय किया जाना सुनिश्चित किया जाए।

10. ₹0.25 लाख के क्रय किए गए सामान को स्टॉक रजिस्टरों में दर्ज न करनाः–

(i) हि0 प्र0 पंचायती राज (वित्त बजट लेखे, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 69 व 70 के अनुसार क्रय व जारी किए गए सामान की प्रविष्टियां स्टोर/स्टॉक रजिस्टरों में की जानी अपेक्षित थी। अभिलेख की जांच करने पर पाया गया कि परिशिष्ट–3 में दिए गए विवरणानुसार पंचायत द्वारा ₹8025 का स्टॉक/स्टोर का क्रय किया गया, लेकिन उक्त सामान की स्टोर/स्टॉक रजिस्टरों में प्राप्ति प्रविष्टियां नहीं की गई। अतः अपेक्षित अभिलेख तैयार न करने बारे स्थिति स्पष्ट की जाए व अभिलेख पूर्ण कर आगामी अंकेक्षण में पुष्टि हेतु प्रस्तुत किया जाना सुनिश्चित किया जाए।

(ii) पंचायत द्वारा ₹0.17 लाख की क्रय की गई शीट की स्टॉक रजिस्टर में स्टॉक प्रविष्टियां दर्ज न करना :–

वाउचर संख्याः 11, दिनांक 27.2.2015 के अन्तर्गत वित्तायोग की रोकड़ वही से शीट क्रय करने पर मैसर्ज अग्रवाल वी0के0 स्टीलस नंगल रोड, ऊना को निम्नानुसार ₹17345 का भुगतान किया गया।

सामान का विवरण	मात्रा	दर	मूल्य
शीट	230.200 कि0ग्रा0	70	16114
		वैट 5%	806
		किराया	400
		मजदूरी	25
		योग	**₹17345**

उपरोक्त उल्लेखित क्रय की गई शीट की स्टॉक रजिस्टर में स्टॉक प्राप्ति प्रविष्टियां व प्रयोग/जारी करने की प्रविष्टियां दर्ज नहीं हैं व न ही यह उल्लेखित है कि उक्त शीट किस कार्य हेतु क्रय की गई, जबकि हि0 प्र0 पंचायती राज (वित्त बजट लेखे, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 69 व 70 के अनुसार क्रय व जारी किए गए सामान की प्रविष्टियां स्टोर/स्टॉक

रजिस्टरों में की जानी अपेक्षित थी। अतः अपेक्षित अभिलेख तैयार न करने बारे स्थिति स्पष्ट की जाए व अभिलेख पूर्ण कर आगामी अंकेक्षण में पुष्टि हेतु प्रस्तुत किया जाना सुनिश्चित किया जाए।

11. निम्न गुणवत्ता के कार्य का निष्पादन ₹0.75 लाखः–

कार्य का नाम	:	**Repair of Path & Nalli in Mohalla Brahmana.**
स्वीकृत राशि	:	**₹75000**
कार्य पूर्ण करने की तिथि	:	**12.6.2014**
माप पुस्तिका संख्या व पेज संख्या	:	**422 व 89 से 90**

उपरोक्त कार्य की जांच करने पर पाया गया कि उक्त कार्य में Providing & Laying Cement Concrete in 1:2:4 की मात्रा 15.366m^3 निष्पादित की गई दर्शाई है व उक्त मात्रा हेतु नियमानुसार 98 बैग सीमेण्ट, 6.83 घन मीटर रेत व 13.67 घन मीटर बजरी का प्रयोग किया जाना अपेक्षित था, जबकि स्टॉक रजिस्टर व माप पुस्तिका अनुसार उक्त कार्य हेतु 51 बैग सीमेण्ट, 4ट्रॉली रेत प्रयोग किया गया है। अतः निर्धारित मात्रा से कम मात्रा में सीमेण्ट, रेत व बजरी का प्रयोग करने के कारण उक्त कार्य हिमाचल प्रदेश लोक निर्माण विभाग द्वारा निर्माण कार्यों हेतु निर्धारित मापदण्डों व तय मानकों के अनुरूप न होकर निम्न गुणवत्ता का है। अतः निम्न गुणवत्ता का कार्य निष्पादित करने का औचित्य स्पष्ट किया जाए व विभागीय जांच कर कृत कार्यवाही से इस विभाग को अवगत करवाया जाए।

12. मनरेगा के अन्तर्गत करवाए गए विकास कार्यों के प्राकलन व माप पुस्तिकाएं अंकेक्षण में प्रस्तुत न करने बारे :–

ग्राम पंचायत कुरियाला में संलग्न परिशिष्ट–4 के अनुसार मनरेगाा के अन्तर्गत अंकेक्षण हेतु चयनित माहों के दौरान ₹183657 के मस्टरोलों द्वारा मजदूरी का भुगतान विभिन्न विकास कार्यों को करवाने हेतु किया गया, लेकिन करवाए गए विकास कार्यों के अनुमान/प्राकलन व वास्तविक रूप से निष्पादित किए गए कार्यों के मापन की माप पुस्तिकाएं अंकेक्षण में सत्यापना हेतु प्रस्तुत नहीं की गई, जिसके फलस्वरूप करवाए गए कार्यों की वास्तविकता की जांच अंकेक्षण के दौरान सम्भव न हो सकी। अतः अपेक्षित अभिलेख आगामी अंकेक्षण में प्रस्तुत किया जाना सुनिश्चित किया जाए।

13. दुरूपयोग ₹280 :–

जांच के दौरान पाया गया कि विभिन्न रसीदों के अन्तर्गत गृहकर के रूप में निम्नाविवरणानुसार वसूली गई राशि से कम राशि रोकड़ वही में दर्ज करके ₹280 का दुरूपयोग किया गया है।

क्र0 सं0	वसूली की तिथि	रसीद सं0	वसूली गई राशि	रोकड़ वही में दर्ज की गई राशि	कर्म दर्ज की गई राशि
1.	23.9.13	74285 से 74300	1080	975	105
2.	5.2.16	73846 से 73870	1500	1400	60
3.	20.2.16	73301 से 73340	2515	2400	115
		योग	**₹5095**	**₹4815**	**₹280**

अतः उपरोक्त उल्लेखित दुरूपयोग की गई ₹280 की वसूली सुनिश्चित की जाए।

14. वाउचरों पर प्रस्ताव संख्या व दिनांक अंकित न होना :–

हि0 प्र0 पंचायती राज (वित्त बजट लेखे, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 7(1) के अनुरूप लेखों का रख–रखाव ग्राम पंचायत कुरियाला द्वारा नहीं किया गया, जबकि उक्त नियम के अनुसार प्रत्येक वाउचर पर प्रस्ताव संख्या पर प्रस्ताव संख्या व दिनांक अंकित करना अनिवार्य है, जिस प्रस्ताव के अन्तर्गत ग्राम पंचायत द्वारा व्यय करने हेतु प्राधिकृत किया गया था। ग्राम पंचायत कुरियाला के व्यय वाउचरों की जांच करने पर पाया गया कि वाउचरों पर प्रस्ताव संख्या व दिनांक उल्लेखित नहीं था, जिसका औचित्य स्पष्ट किया जाए व भविष्य में प्रत्येक वाउचर पर प्रस्ताव संख्या व दिनांक अंकित करने उपरान्त ही भुगतान किया जाना सुनिश्चित किया जाए।

15. टी0डी0एस0 की कटौती न करना :–

आयकर की धारा 194(सी0) में विहित प्रावधानों के अनुसार किसी भी वित्तीय वर्ष में किसी भी व्यक्ति संविदाकार अथवा फर्म को किए गए ₹30000 से अधिक के किसी भी एकल भुगतान अथवा ₹75000 से अधिक सकल भुगतान पर 2% की दर से व एकल व्यक्ति की अवस्था में 1% की दर से टी0डी0एस0 की कटौती की जानी अपेक्षित है व धारा 194(सी) किसी भी कार्य हेतु किए गए सभी प्रकार के अनुबन्धों चाहे वह लिखित हो अथवा मौखिक हो पर लागू होती है, जैसे कि विज्ञापन, कैटरिंग, ट्रास्पोर्ट, लेबर व सेवा कार्य व सामान इत्यादि का अनुबन्ध। आयकर की धारा 194(सी) में विहित प्रावधान की अनुपालना न करते हुए ग्राम पंचायत द्वारा अंकेक्षण अवधि 1.4.2013 से 31.3.2016 तक विभिन्न व्यक्तियों, ठेकेदारों व फर्मों से टी0डी0एस0 की कटौती नहीं की गई थी, जिसके कारण सरकारी कोष से कई हजारों रूपये टी0डी0एस0 के रूप में कम जमा हुई राशि की गणना संस्था स्तर पर करने के उपरान्त सम्पूर्ण राशि उचित स्त्रोत से वसूली करके सरकारी कोष में जमा करवाई जानी सुनिश्चित की जाए। भविष्य में आयकर की धारा 194(सी) के प्रावधानों के अनुसार टी0डी0एस0 की कटौती की जानी सुनिश्चित की जाए।

16. स्टोर (सामग्री) का क्रय व उपायन के प्रयोजन हेतु उपसमिति का गठन न करना :–

(i) हि0 प्र0 पंचायती राज (वित्त बजट लेखे, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 की धारा 67(3) के अनुसार प्रत्येक ग्राम पंचायत स्टोर (सामान) के क्रय व उपायन से निम्नलिखित विधि से एक उपसमिति गठित करेगी।

(क) ग्राम पंचायत की दशा में प्रधान, उपप्रधान, ग्राम पंचायत द्वारा नाम निदिृष्ट किए जाने वाले दो वार्ड सदस्य व ग्राम पंचायत का सचिव।

अंकेक्षण हेतु चयनित मासों के व्यय वाउचरों की जांच करने पर पाया गया कि ग्राम पंचायत कुरियाला द्वारा स्टोर (सामान) का क्रय व उपायन के प्रत्येक प्रयोजन हेतु उप समिति का गठन नहीं किया गया है, जोकि पंचायती राज (वित्त बजट, लेख, संपरीक्षा, संकर्म कराधान व भत्ते) नियम 2002 की धारा 67(3) की अवहेलना है। अतः स्टोर (सामान) का क्रय व उपायन उपसमिति के गठन के बिना करने का औचित्य स्पष्ट किया जाए व अंकेक्षण अवधि 1.4.2013 से 31.3.2016 तक के दौरान उपसमिति के गठन के बिना अनियमित रूप से क्रय से कार्योत्तर स्वीकृति लेकर नियमित करवाया जाए।

(ii) ग्राम पंचायत द्वारा निर्माण कार्यों हेतु सहभागी समिति का गठन न करना :–

हि0 प्र0 पंचायती राज (वित्त बजट लेखे, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के उपनियम 93 के अनुसार ग्राम पंचायत को प्रत्येक निर्माण कार्य के निष्पादन हेतु सहभागी समिति का गठन करना अपेक्षित है, ताकि निर्माण कार्यों में पारदर्शिता स्थापित की जा सके। ग्राम पंचायत कुरियाला द्वारा किसी भी निमार्ण कार्य हेतु सभागी समिति का गठन नहीं किया गया है व सभी कार्य सहभागी समिति के बिना ही स्वयं करवाए गए हैं। अतः समस्त कार्यों को सक्षम अधिकारी की कार्योत्तर स्वीकृति से नियमित करवाया जाए।

17. अंकेक्षण अवधि 1.4.2013 से 31.3.2016 तक के दौरान क्रय सामग्री की मात्रा की मापन ईकाई ट्रॉली के रूप में गलत दर्शाना :–

ग्राम पंचायत कुरियाला के अंकेक्षण हेतु चयिनत मासों के व्यय वाउचरों की जांच करने पर पाया गया कि ग्राम पंचायत कुरियाला द्वारा सामग्री के रूप में जो भी रेता, बजरा, बजरी, पत्थर इत्यादि क्रय किया गया है। उस सामग्री की स्टॉक रजिस्टरों से स्टॉक प्राप्ति एवं जारी/खपत प्रविष्टियां ज्यादातर ट्रॉली के रूप में दर्ज किया गया व तदानुसार माप पुस्तिकाओं में कार्य का मूल्यांकन करते समय सम्पूर्ण सामग्री जैसे रेत, बजरी, बजारा व पत्थर इत्यादि को ट्रॉली के रूप में दर्शाया गया है। नियमानुसार रेता, बजरी, बजरा घन फुट या घन मीटर में ही मापा जा सकता है। यहां यह भी उल्लेखित है कि निर्माण/मुरम्मत कार्य ग्राम पंचायत स्तर पर तकनीकी सहायक व

ब्लॉक स्तर पर कनिष्ठ अभियन्ता द्वारा निष्पादित करवाए गए। अवधि 1.4.2013 से 31.3.2016 तक के उक्त सामग्री रेता, बजरी, बजरा व पत्थर इत्यादि के स्टॉक रजिस्टर नियमानुसार तैयार किए जाएं, ताकि निष्पादित किए गए कार्यों में प्रयोग की जा चुकी सामग्री की वास्तविकता की जांच सम्भव हो सके व किसी प्रकार के सामग्री के दुरूपयोग की सम्भावना को नकारा जा सके। कृत कार्यवाही से इस विभाग को अवगत करवाया जाए।

18. माप पुस्तिका में सामग्री उपयोग विवरणी तैयार न करना :–

अभिलेख की जांच करने पर पाया गया कि ग्राम पंचायत में प्रत्येक माह विकास कार्यों हेतु लाखों रूपये की सामग्री जैस रेत, बजरी, बजरा, पत्थर, सीमेण्ट व ईटें इत्यादि खरीदा गया, लेकिन माप पुस्तिका में सामग्री उपयोग विवरणी तैयार नहीं की गई, जिसके फलस्परूप इस बात की पुष्टि नहीं हो सकी कि जिस कार्य हेतु प्राकलन के आधार पर जितनी मात्रा में सामग्री खरीदी गई थी, क्या वास्तव में उतनी ही मात्रा में सामग्री का उपयोग हुआ था। अतः भविष्य में माप पुस्तिकाओं में सामग्री उपयोग विवरणी तैयार की जानी सुनिश्चित की जाए।

19. विहित रजिस्टरों का रख–रखाव न करना :–

हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (वित्त बजट लेखे संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 29 से 31 के अन्तर्गत पंचायत द्वारा विभिन्न रजिस्टरों/अभिलेखों का रख–रखाव किया जाना अपेक्षित था। अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि पंचायत द्वारा निम्न रजिस्टरों/अभिलेखों का रख–रखाव नहीं किया गया था, जोकि अनियमित व आपत्तिजनक है। अतः नियमानुसार इन अभिलेखों व रजिस्टरों का रख–रखाव किया जाना सुनिश्चित किया जाए।

क्र0 सं0	रजिस्टर/अभिलेख	फार्म सं0	संदर्भित नियम
1.	निवेश रजिस्टर	1	12 (1)
2.	अस्थाई अग्रिम रजिस्टर	9	30
3.	निर्माण कार्यों से सम्बन्धित रजिस्टर	31	95 (1)
4.	मासिक समाधान विवरणी		15 (1)
5.	विभिन्न अनुदानों के लेजर खाते	7	29 (1)
6.	मांग एवं प्राप्ति रजिस्टर	10	33 व 77 (4)
7.	अनुदान रजिस्टर	21	61 (1)
8.	डाक रजिस्टर	24	61 (2)
9.	स्थाई व अस्थाई भण्डार रजिस्टर	25 व 26	72 (1)
10.	निमार्ण कार्यों की तकनीकी स्वीकृति का रजिस्टर	31	95(1)

20. प्रत्यक्ष सत्यापन :–

हि0प्र0 पंचायती राज (वित्त बजट लेखे संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 73 के अन्तर्गत पंचायत के भण्डार का प्रत्येक 6 माह बाद प्रत्यक्ष सत्यापन किया जाना अपेक्षित है, परन्तु अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि पंचायत द्वारा भण्डार का नियमानुसार सत्यापन नहीं किया गया है, जिस बारे में स्थिति स्पष्ट की जाए तथा इस सन्दर्भ में अपेक्षित कार्रवाई अमल में लाकर अनुपालना से इस विभाग को अवगत करवाया जाए।

21. लघु आपत्ति विवरणिका :– लघु आपत्तियों का मौके पर ही निपटारा कर दिया गया है। यह संस्था को अलग से जारी नहीं की गई है।

22. निष्कर्ष :– लेखों के रख–रखाव में सुधार की आवश्यकता है।

हस्ता/–
उप निदेशक
स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग,
हिमाचल प्रदेश, शिमला–171009.

पृष्ठांकन संख्या :फिन (एल0ए0)एच0(पंच)15(5),13/2016 खण्ड–1–6077–6080 दिनांकः 16.11.2016, शिमला–171009

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित है :–

पंजीकृत

1. सचिव, ग्राम पंचायत कुरियाला, विकास खण्ड ऊना, तहसील ऊना, जिला ऊना हि0 प्र0 को इस आशय के साथ प्रेषित कि जाती है कि वह इस अंकेक्षण प्रतिवेदन पर उचित कार्रवाई करके सटिप्पण उत्तर इस विभाग को एक माह के भीतर भेजना सुनिश्चित करें।
2. निदेशक, पंचायती राज विभाग, हि0 प्र0, कुसुम्पटी, शिमला–171009 को पैरा संख्या 1(ख) में वर्णित गम्भीर अनियमितताओं पर सम्बन्धित पंचायत सचिव को आवश्यक कार्रवाई करने के लिए निर्देश जारी करने हेतु प्रेषित है।
3. जिला पंचायत अधिकारी ऊना, जिला ऊना हि0 प्र0
4. खण्ड विकास अधिकारी, विकास खण्ड ऊना, तहसील ऊना, जिला ऊना हि0प्र0

हस्ता/–
उप निदेशक
स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग,
हिमाचल प्रदेश, शिमला–171009.